

Regarding compensation to families who migrated from Chhamb Sector during Kargil war- Laid

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र तहसील खौड़ गांव सामुआ और चपरेआल, छंब सैक्टर के उन 60 परिवारों की ओर दिलाना चाहता हूँ जिनके मकान कारगिल युद्ध के दौरान जून 1999 में तार लगने की वजह से तार के अंदर आ गए थे । पाक फायरिंग की वजह से यह लोग अपने गांव से पलायन कर गए थे । उस क्षेत्र के लगभग 6000 परिवार जो पलायन कर गए थे उनमें से अधिकांश ने अपने घरों में पुनर्वास कर लिया था । 60 परिवार अभी भी अपने घरों में नहीं बस पाए क्योंकि उनका मकान तार लगने की वजह से तारबंदी क्षेत्र के अंदर वाले क्षेत्र में आ गए । उन परिवारों को अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाता है । सरकार द्वारा उन लोगों को पांच मरल का प्लॉट दिया गया है जो गांव से 25 किलोमीटर की दूरी पर है जिसके कारण यह लोग अपनी खेती नहीं कर पाते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उन परिवारों को समय से मुआवजा दिया जाए । साथ ही समवा-मीरपुर में जो नहर बाँध आर्मी द्वारा बनाई गई है उसका मुआवजा 1972 से मिल रहा था और साल 2012 सितम्बर से मुआवजा बंद पड़ा हुआ है । इन लोगो को दोबारा मुआवजा दिया जाए ।